न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 41/16

1. ओमप्रकाश पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी डिबस्या तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. भूरसिह पुत्र रामसहाय
2. शिवचरण पुत्र रामसहाय जातियान मीना निवासीयान डिबस्या तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मु0न0 78/14 निर्णय दिनांक 6.4.15)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री श्याममोहन शर्मा
2. रेस्पोडेटान की और से कोई उपस्थित नही

निर्णय

दिनांक 15.1.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 78/14 निर्णय दिनांक 6.4.15 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/सायल ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायल न0 1 व 2 सगे भाई है। सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त आराजीयात की भूमि ख0न0 1139 रकबा 1.50 है0 ग्राम डिबस्या मे स्थित है। जिस पर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। भूमि का पक्षकारो के मध्य विभाजन नही हुआ है। सायल ने गैरसायल संख्या 1 ने दिनांक 12.7.14 को वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर अलग अलग हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित करवाने का अनुरोध किया तो गैरसायल संख्या 1 नाराज हो गये एवं विभाजन करने से इंकार कर दिया। दिनांक 13.7.14 को सायल अपने उक्त विवादग्रस्त भूमि पर ट्रेक्टर लेकर जुताई कराने गया तो गैर सायल संख्या 1 मौके पर आ गया और कहने लगा कि तुम्हे कांश्त नही करने दूगा। इस भूमि को मै काश्त करूगा तथा वादग्रस्त भूमि मे तुम्हारे हिस्से का उपयोग उपभोग नही करने दूगा। और तुम्हे बेदखल करूगा। बिना विभाजन कराये भूमि का बेचान करूगा। तथा प्लाटिग करके कृषि से अकृषि मे परिवर्तन करूगा। इस प्रकार गैरसायलान को जरियें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि तफ्सील भूमि ख0न0 1139 रकबा 1.50 है0 के उपयोग उपभोग मे सायल ने किसी प्रकार की बाधा नही करे ना ही अन्य से करावे तथा बिना विभाजन कराये वादग्रस्त भूमि को किसी भी तरिके से हस्तान्तरित नही करे एवं कृषि से अकृषि नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात की बाद के निस्तारण तक

अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद सूचना के उपस्थित नही हुए ना ही उनकी और से किसी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस अपीलांट अभिभाषक की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। आराजी ख0न0 1139 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम डिबस्या अपीलांट के पिता रामसहाय की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी जिसे अपीलांट के पिता रामसहाय ने अपने जीवनकाल मे ही बंटवारा अपनी मौजूदगी मे ही कर दिया था। उक्त विभाजन अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। रामसहाय की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि साबिक ख0न0 593 रकबा 6 बीघा 11 विस्वा, ख0न0 595 रकबा 3 विस्वा एवं ख0न0 596/2 रकबा 15 विस्वा कुल रकबा 7 बीघा 9 विस्वा भूमि रही है। भू प्रबंध विभाग ने उक्त भूमि के नवीन ख0न0 1139 रकबा 1.50 है0 कायम कर दी। इस प्रकार साबिक रकबे के मुकाबले रामसहाय को 1 बीघा 9 विस्वा भूमि यानी 30 ऐयर भूमि कम आई । यह 38 ऐयर भूमि हाल ख0न0 1140, 1141, 1141/1780, 1141/1784 एवं 1142 में मिलाकर उसकी खातेदारी रमजानी बगै0 के हक में कर दी थी जबकि इस 38 ऐयर भूमि पर रामसहाय का ही कब्जा चला आ रहा है। इसकी दुरूस्ती हेतु अपीलांट के पिता ने एक दावा रामसहाय बनाम रमजानी के नाम से पेश कर रखा है जो चल रहा है तथा रामसहाय ने अपने जीवन काल में बंटवारे के समय इस मुकदमें में चाही गई भूमि 30 ऐयर के लिए बंटवारे को कहा तो रेस्पो0 ने इन मुकदमें में पैरवी करने व हिस्सा लेने से इंकार कर दिया अकेले अपीलांट ने ही इस मुकदमें को लडने की हॉ भरी तथा रेस्पो0 ने उक्त 38 ऐयर भूमि में से अपना अधिकार छोड दिया और यह भूमि केवल अपीलांट की ही रही उक्त मुकदमें में आज भी अपीलांट पेरवी कर रहा है। रेस्पो0 ने तो संशोधित दावे पर हस्ताक्षर करने तक से इंकार कर दिया। इस बात पर गौर किए बिना तहत न्यायालय ने खिलाफ कानूनी जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट ने उक्त 38 ऐयर भूमि पर लाखों रूपये खर्च कर चुका है जिसमें रेस्पो0 द्वारा एक पैसा भी खर्च नहीं किया अब रेस्पो0 [illegible] बेईमानी आ गई है और इस दावे की आढ में 38 ऐयर भूमि [illegible] कोई अधिकार नहीं है उक्त 38 ऐयर भूमि अपील[illegible] चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 1139 में सामलाती कुआ बना हुआ [illegible] कुआ अभी अविभाजित है तथा अविभाजित रखा जाना चाहिए इस बात पर गौर किए बिना उक्त निर्णय तहत न्यायालय द्वारा पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। तहत न्यायालय द्वारा अस्थायी प्रार्थना पत्र के

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तीनो बिन्दु प्राइमाफेसी केस,सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को तय करना चाहिए था। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जल्दबाजी मे किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिंये है जो कि कोई आदेश नही है। अधिनस्थ न्यायालय को या तो टी आई स्वीकार करनी चाहिए थी या अस्वीकार करनी चाहिए थी। इस बात पर गौर नही कर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपने निर्णय मे विवादित आराजीयात को संयुक्त खातेदारी की भूमि माना है तथा प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होने की अवधारणा है। जो कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल की कई नजीरो से स्पष्ट है। जाइंट टिनेन्सी की आराजी मे किसी भी सहखातेदार को पाबंद नही किया जा सकता है। ना ही उनकी सहखातेदारी की भूमि पर टी आई जारी की जा सकती है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदारो के विरूद्व टी आई जारी कर यथावत स्थिति के आदेश पारित किया है। उक्त विवादित भूमि को लेकर माननीय राजस्व मंडल अजमेर तथा माननीय उच्च न्यायालय मे प्रकरण लंबित है। यह तथ्य दौराने बहस पीठासीन अधिकारी महोदय के समक्ष आ चुका है। जिसमे अपीलांट व रेस्पो0 पक्षकार है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपर न्यायालय मे लंबित प्रकरण के दौरान उक्त अपीलांधीन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। पत्रावली को अधोपान्त अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73 वाके ग्राम डिबस्या के खाता संख्या 10 के ख0न0 1139 रकबा 1.50 है0 पर ओमप्रकाश पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/3, भूर सिह पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/3, शिवचरण पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/3 अकित है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि का अभी पक्षकारो के मध्य विभाजन नही हुआ है। पक्षकारो के मध्य वाद विचाराधीन है। पक्षकारो के मध्य वाद बहुलता नही बढ़े इस अवधारणा को मध्य नजर रखते हुए उभयपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय विस्तृत विश्लेषण उपरान्त पारित किया है। जिसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0न0 78/14 निर्णय दिनांक 6.4.15 को यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15.1.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15.1.20

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner